वित्त निर्देश- 44/2012

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 219/15/वित्त/नियम/चार/2012 रायपुर, दिनांक 15 जून, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-दिनांक 01.01.1996 से 30.09.1996 के मध्य सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन का पुनर्निर्धारण ।

संदर्भ:-वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 202/201/वित्त/नियम/चार/2007 रायपुर दिनांक 07.07.2007

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 07.07.2007 द्वारा 01.01.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के मामले में यह निर्देश प्रसारित किए गए है कि, दिनांक 01.04. 2007 की स्थिति में पेंशनरों को देय विद्यमान पेंशन यदि पेंशनर द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के दिनांक 01.01.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम हो तो विद्यमान पेंशन की राशि दिनांक 01.01.1996 से प्रभावशील धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत के बराबर तथा परिवार पेंशन 01.01.1996 से प्रभावशील धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 30 प्रतिशत के बराबर की जाए ।

2/ उक्त आदेश के संदर्भ में कुछ ऐसे प्रकरण वित्त विभाग के ध्यान में लाये गये हैं जिनमें ऐसे पेंशनरों जो दिनांक 01.01.1996 से 30.09.1996 के मध्य सेवानिवृत्त हुये है तथा जिन्हें वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 143/65/वित्त/नियम/चार/2002 दिनांक 06.03.2002 का लाभ देने के पश्चात भी उनकी पेंशन उन अधिकारियों जिन्हें दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ मिला है से कम है ।

3/ अत: दिनांक 01.01.1996 तथा 30.09.1996 के मध्य सेवानिवृत्त ऐसे शासकीय सेवकों जिन्हें दिनांक 31.12.1995 तक समकक्ष पदों में कार्यरत शासकीय सेवकों से कम पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है को भी समकक्ष पद के लिये दिनांक 01.01.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत की दर से पेंशन तथा 30 प्रतिशत की दर से परिवार पेंशन (जैसी भी स्थिति हो) का लाभ देय होगा ।

4/ संदर्भित परिपत्रों में दी गई अन्य शर्ते यथावत रहेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 220/15/वित्त/नियम/चार/2012 रायपुर, दिनांक 15 जून, 2012

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस–हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड–495220 ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Ravindran

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग